प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 14.05.2025

- **चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा की गयी एक और कड़ी कार्यवाही।**
- **थाना रनियाँ पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी की घटना कारित करने वाले 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना रनियां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 73/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त के कब्जे से 2140/- रु0 नगद, चोरी का सामान व घटना में प्रयुक्त ऑटो नं0 UP 78 JN 3244 किया गया बरामद।**

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में चोरी की घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 07.05.2025 को वादी श्री रामप्रताप सिंह पुत्र श्री प्रदीप सिंह निवासी रनियां पड़ाव देवभवन कस्बा व थाना रनियां जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना रनियां पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 2/3.05.2025 की रात्रि में वादी की मोबाइल की दुकान सपना मोबाइल से अज्ञात चोरों द्वारा दुकान का ताला तोड़कर रुपये व सामान चुरा ले गये हैं, जिसके सम्बन्ध में थाना रनिया पर दिनांक 07.05.2025 को मु0अ0सं0 73/2025 धारा 331(4)/305/317(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में साक्ष्यों/तथ्यों के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्त दीपांशू यादव पुत्र नन्दकिशोर यादव निवासी आई ब्लाक गुजैनी सब्जी मंडी गोपाल स्वीट हाउस के सामने वाली गली थाना गुजैनी जनपद कानपुर को थाना रनियाँ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये आज दिनांक 14.05.2025 को समय करीब 12.40 बजे अभियुक्त दीपाशू उपरोक्त को राजेन्द्रा पुल रनियाँ से आगे बम्बा के पास थाना क्षेत्र रनियाँ से चोरी का सामान व चोरी में प्रयोग किये गये ऑटो नं0 UP 78 JN 3244 (एमवी एक्ट के तहत सीज) के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-

दिपांशू यादव पुत्र नन्दकिशोर यादव निवासी आई ब्लाक गुजैनी सब्जी मंडी गोपाल स्वीट हाउस के सामने वाली गली थाना गुजैनी जनपद कानपुर नगर उम्र करीव 20 वर्ष।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त दीपांशू उपरोक्त ने पूछने पर बताया कि मैं व मेरे अन्य साथी विशाल शुक्ला उर्फ आयुष पुत्र पंकज शुक्ला निवासी एम ब्लाक काकादेव चंदेल चौराहा थाना काकादेव जनपद कानपुर नगर, आदित्य वर्मा उर्फ डिपर पुत्र रमेश चन्द्र वर्मा निवासी फर्रुखाबाद समोसे वाले के घर जे-ब्लाक गुजैनी थाना गोबिन्द नगर जनपद कानपुर नगर के साथ इसी ऑटो से जिसको मैं किराये पर चलाता हूं, दिनांक 2/3.05.2025 को हम तीनों रात्रि को

रनियाँ आये थे और मेरे साथी आदित्य वर्मा उर्फ डिपर व विशाल शुक्ला उर्फ आयुष को सपना मोबाइल पर छोडकर मैं ऑटो लेकर आगे बढ़ गया था। विशाल शुक्ला उर्फ आयुष व आदित्य वर्मा उर्फ डिपर ने सपना मोबाइल की दुकान का ताला तोडकर दुकान से मोबाइल और मोबाइल का अतरिक्त सामान व गल्ले से 5200/-रु0 चोरी करके मेरे ऑटो में आ गये थे। चोरी किये गये माल को हम लोगों ने कानपुर में जाकर बंटवारा किया था। मेरे हिस्से में 3000/-रु0 नगद व यह सामान जो मेरे ऑटो से बरामद हुआ है वह आया था। मैने 860 रुपये अब तक खर्च कर लिये एवं 2140/-रुपये जो मुझसे बरामद हुये हैं वह चोरी में मिले रुपयों में से बचे हुये हैं, बाकी चोरी का सामान व रुपया मेरे दोनों साथियों के पास में है। ऑटो के बारे में पूछा गया तो बताया कि यह ऑटो मैं किराये पर चलाता हूं, ऑटो मालिक का नाम विजय कुमार पुत्र हरिद्वार ठाकुर निवासी एफ 187 गुजैनी कानपुर है। हम तीनों लोग अक्सर इसी ऑटो से इधर-उधर जाकर, किराना, मोबाइल आदि दुकानों से चोरी करके इसी ऑटो में ले जाकर कानपुर में जगह-जगह बेच देते हैं। जो पैसा मिलता है हम तीनों आपस में बांट लेते हैं। लेकिन कभी पकडे नहीं गये। मेरे दोनों साथी कल्यानपुर थाने से जेल चले गये हैं। जो इस समय थाना कल्यानपुर में लिखे गये मु0अ0सं0 186/2025 धारा 331(4)/305ए /317(2) बीएनएस में किशोर सुधार गृह इटावा में बन्द है। मैं कभी जेल नहीं गया हूँ। आज पहली बार पकडा गया हूँ।

<u>बरामदगी का विवरण-</u>

1- 2140/- रु0 नगद

2- घटना में प्रयुक्त एक ऑटो नं0 UP 78 JN 3244 (एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया)

3- 05 मोबाइल कवर, दो पैकेट टेम्पर, 06 ईयर फोन व 03 ब्लूटुथ

<u>गिरफ्तार करने वाली थाना रनियाँ पुलिस टीम-</u>

1. उ0नि0 श्री रंजीत कुमार
2. का0 39 प्रवेश कुमार
3. का0 201 नरेन्द्र राना